

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27 (74) ग्राविवि/अनु-5/जीकेॱॱै/न्यूनतम मजदूर दर./ 2014-15 जयपुर, दिनांक 05-04-2016
जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष,
जिलादर निर्णायक समिति,
जिला समस्त राजस्थान।

विषय:- श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षित करने के सम्बंध में।

प्रसंग:- श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.12.2015

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रम विभाग द्वारा जारी प्रासांगिक अधिसूचना दिनांक 17.12.2015 (प्रति संलग्न) के आधार पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पादित की जा रही विभिन्न केन्द्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं (नरेगा योजना को छोड़कर) में नियोजित अकुशल श्रमिक एवं अद्वकुशल श्रमिक (मेट) की न्यूनतम मजदूरी दर कमशः रुपये 197/- का रुपये 207/- पुनरीक्षित की जाती है।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मेर 5/4/16
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
- परियोजना निदेशक एवं दर्दन उप सचिव (मो एवं मु), को वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
- अधिशासी अभियन्ता, (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
- विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
- एमआईएस मेनेजर (बीएसआर साफ्ट) को विभागीय बीएसआर साफ्ट में दर पुनरीक्षित करने हेतु।
- प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता ग्रावि, 5/4/16



राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अप्रहयग 30 सेमवार शाके 1937-दिसम्बर 21, 2015	Agrahayana 30, Monday, Shaka 1937-December 21, 2015

सर्वोच्च जरने

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाये।

श्रम विभाग
अधिसूचनाएँ

जयपुर, दिसम्बर 17, 2015

संख्या एफ 5(6)न्यू.म./भ्रम/2000/पार्ट/27607 :— कमांक एफ 5(6)न्यू.म./भ्रम/2000/पार्ट/ हुके राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र में निम्नांकित अनुसूचित नियोजनों में कर्मचारी के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना कमांक एफ 5(6)न्यू.म./ प्रम/ 2000 / पार्ट/ 13740 दिनांक 48/2015 से राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग - 1(ख) दिनांक 48/2015 से प्रकाशित किये गये थे।

हुके उक्त प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त अम्यावेदनों पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप-धारा (2) संपूर्ण धारा 3 की उप-धारा(1) खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 दिनांक 29/1/2015 से प्रकाशित हुई थी, का अधिकमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम केतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में निम्नांकित अनुसूची "भाग- 1 एवं भाग 11" में सम्मिलित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 11/2015 से पुनरीक्षित करती है:—

अनुसूची " भाग-1"

क्र.सं.	अनुसूचित नियोजनों के नाम
1	सोप स्टोन फैक्ट्रीज
2	कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्ट्रीज
3	ऑटोमोबाइल वर्कशॉप
4	कॉटन-डाइग, प्रिन्टिंग तथा वाशिंग फैक्ट्रीज
5	स्माल स्क्रॉल इण्डस्ट्रीज
6	गोटा किनारी एवं लाप्ता संस्थानों में नियोजन
7	वूलन स्पिनिंग एवं वीविंग फैक्ट्रीज
8	पावरजूम फैक्ट्रीज
9	प्रिंटिंग प्रेस
10	सिनेमा इण्डस्ट्रीज
11	तेल मिल (ओर्गल मिल)
12	इजोनियरिंग इण्डस्ट्रीज
13	वूल किलनींग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रीज
14	हैंडलूम उद्योग
15	मैकेनिकल शावित के बागेर चलने वाले युगरपान के नियोजन
16	दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान
17	कॉटन वेस्ट स्पिनिंग फैक्ट्रीज
18	किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन
19	सार्वजनिक मोटर परिवहन में नियोजन
20	अध्रक कर्मान्त में नियोजन (अध्रक खानों के अतिरिक्त)
21	किसी चावल मिल आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
22	सड़कों के संनिर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संकेयाओं में नियोजन
23	सरकारी कार्यालयों में काटिंजन्सी एण्ड वर्क्स (आकस्मिक जिसमें निगम तथा मण्डलों में नियुक्त श्रमिक/ कागमार भी शामिल हैं)

क्र.सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	2
1.	कृषि में नियोजन— किसी भी रूप में कृषि कर्म में नियोजन, जिनके अन्तर्गत धरती को जोतना और बोना, दुर्घ उद्योग, किसी कृषि संबंधी या उद्यान कृषि संबंधी वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, जीवन धन पालन, मधुमत्तजी या कुतकुट पालन और किसी कृषि द्वारा या किसी कृषि क्षेत्र पर या कृषक कर्म की अनुशासिक रूप या उनके साथ-साथ की गई कियाये (जिनके अन्तर्गत वन संबंधी या काष्ठीकरण संबंधी कियाये, और कृषि उपज मण्डी के लिए तैयार करने और भण्डर में या मण्डी को या मण्डी तक परिवहनार्थ वाहन का परिदान करना आता है / आती है)	नियोजन।
24.	विद्युत उत्पादन, वितरण तथा पूर्ति से संबंधित नियोजन	
25.	जन स्वास्थ्य अभियानकी विभाग में नियोजित श्रमिक / कामगार	
26.	सियाई विभाग में नियोजित श्रमिक / कामगार	
27.	सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियोजित श्रमिक / कामगार	
28.	जट पट्टी उद्योग	
29.	होटल एवं रेस्टोरेंट	
30.	निजी शैक्षणिक संस्थानों में नियोजन	
31.	निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स (जो सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित न हो) में नियोजन।	
32.	केबल ऑपरेटिंग एवं संबंधित सेवा में नियोजन	
33.	सीमेंट प्रीस्ट्रेंज ग्रोडवर्ट्स उद्योग में नियोजन	
34.	कोल्ड हिंक्स, सोडा एवं अलाइड ग्रोडवर्ट्स की मेन्युफैक्चरिंग में नियोजन	
35.	कॉल्ड स्टोरेज में नियोजन	
36.	कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन	
37.	फैब्रिं अधिनियम में पंजीकृत सभी कारखाने जो अन्य किसी अनुसूचित नियोजन में समिलित नहीं हो, में नियोजन	
38.	गैर सरकारी सांगठन (एन.जी.ओ.) एवं संस्थाओं में नियोजन	
39.	खादी, हैंडक्रॉपटस एवं विलेज इण्डस्ट्रीज में नियोजन	
40.	एल.पी.जी., वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन	
41.	मार्केटिंग एवं कञ्जुमस स को—आपरेटिंग सोसायटीज में नियोजन	
42.	मेटल फार्डप्रो एवं जनरल इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन	
43.	पैस्टीसाइड साहित कैमिकल्स एवं फार्मस्युटिकल्स उद्योग में नियोजन	
44.	पैट्रोल पम्प एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन	
45.	एस.टी.डी., आई.एस.डी., पी.सी.ओ.एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन	
46.	स्वीपर एवं सेन्टरी सेवा जो अन्य नियोजनों में समिलित नहीं है	
47.	हेलरिंग कार्य तथा गारमेंट्स उद्योग में नियोजन	
48.	टैक्सीज, ऑटो रिक्षा एवं ट्रैक्सियों एजेन्सीज में नियोजन	
49.	टैक्सीटाइल्स उद्योग (सभी प्रकार को) में नियोजन	
50.	टाइल्स निर्माण एवं पाटरीज उद्योग में नियोजन	
51.	टुड वर्क्स एवं फर्नीचर निर्माण उद्योग में नियोजन	

अनुसूची " भाग-II"

क्र.सं.	पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें	न्यूनतम मजदूरी की दरें
1.	कृषि में नियोजन— किसी भी रूप में कृषि कर्म में नियोजन, जिनके अन्तर्गत धरती को जोतना और बोना, दुर्घ उद्योग, किसी कृषि संबंधी या उद्यान कृषि संबंधी वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, जीवन धन पालन, मधुमत्तजी या कुतकुट पालन और किसी कृषि द्वारा या किसी कृषि क्षेत्र पर या कृषक कर्म की अनुशासिक रूप या उनके साथ-साथ की गई कियाये (जिनके अन्तर्गत वन संबंधी या काष्ठीकरण संबंधी कियाये, और कृषि उपज मण्डी के लिए तैयार करने और भण्डर में या मण्डी को या मण्डी तक परिवहनार्थ वाहन का परिदान करना आता है / आती है)	(लघुपदे में)
2.	अनुसूची भाग I एवं II में चिह्नित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों / कर्मचारियों का वर्गीकरण	प्रतिमाह प्रतिदिन

क्र.सं.	प्रतिमाह प्रतिदिन
1.	5122/- 197/-

1	2	3
<p>कुंजी पाल, स्प्रेमैन, गेज रीडर्स, जरी वर्कर, फीडर, लोडर्स, बेग फिलर, ट्रोली फिलर, जिनिंग वर्कर्स, पैकर्स, फीडर्स, बेल लीफटर्स, लर्नर, लेबर, ब्लीवर, मर्सराईजिंग हैल्पर, कीर बॉयलर्स एण्ड ब्लीचर्स, डाइग ऑन एडन वर्कर्स, डाईन वर्कर्स, जींगर वर्कर, मैसेन्जर्स, मजदूर, वॉचमैन, डाईगमैन, वूल क्लीनर्स, बिलोमशीन हैल्पर, होपरमैन, बेल पेकर्स, क्लीनिंग वर्कर्स, वूल केरियर, बॉबिन केरियर, ड्रायर्स, ट्रोलीमैन, चरखा चलाने वाला रीलर, पेपर लिफ्टर, पोस्टर बॉय, एक्सपेलर-क्लीनर, कोलमैन, केटमैन, गेटकीपर, कुक कैरियर, डिकोरटीकेटर, (ग्राउण्डनट केरियर, हस्क केरियर, गनी बेग फलर, गनी बेग स्टीचर) वूल वॉशिंग मैन, स्टीचर, वूल सोरटर्स, बीयर्स, गेटकीपर, वेजीटेबल कटर, डिलीवरी बॉय, कोटर रोलर, पिअॉन, छानने वाला, पम्पमैन, शामियाना तानने वाला, कॉटन फीडर श्रमिक, डेसर्स एण्ड शोपरटर्स, केरियर, हमाल, स्पिनर्स, क्लीनर - होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट अधिसूचित नियोजन में नियोजक द्वारा निवास सुविधा एवं भोजन सुविधा दिये जाने पर क्रमशः रु० 100-100 घटाकर वेतन देय होगा। (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अकुशल कार्य करते हों)</p>		
2. अर्द्धकुशल - मुंशी, भू मापक, शिशु गृह प्रभारी, हैड डीलर, स्टोन ड्रेसेज और कटर्स, हैल्पर, वायरमैन, मेट, हैल्पर, वर्कशॉप हैल्पर्स, सहायक पेन्टर्स, वे-मैन, ऑयल मैन, वॉल्वमैन, हॉफप्रेस मैन, वर्ककार, अस्सिस्टेन्ट कण्डक्टर, हैड वॉचमैन, अस्सिस्टेन्ट फिटर, अस्सिस्टेन्ट कारपेन्टर, अस्सिस्टेन्ट टर्नर, अस्सिस्टेन्ट ग्रीजर, ऑयलमैन, अस्सिस्टेन्ट टिंकर, टायर फिटर, डेट फिटर, पॉलिश मैन, लेथमैन, टूल कीपर, लाईनर, वाइन्डर, टाईमैन, पैट्रीमैन, ल्यूब्रिकेटिंग अस्सिस्टेन्ट, जूनियर क्लर्क, बैण्ड चैकर, जींगरमैन, क्लीपमैन, (स्टेन्टर) अस्सिस्टेन्ट स्कीन प्रिन्टर, वर्कर एंगेज्ड ऑन हैप्पिङ्लिंग, मशीन स्ट्रेचर्स, फिल्डर्स, एडन हैल्पर, हैवी मशीन हैल्पर, अस्सिस्टेन्ट ऑपरेटर, बिलोमैन, वैमैन, लेपमैन, वाईगमैन, डीजर, भीमसा, वारपार, फोल्डर, साईजर, पैपरमैन, कच्चा वाईण्डर, डिस्ट्रीब्यूटर, ग्राईडिंग मैन, टेकर, कोपी होल्डर, पैपर फीडर, इंकमैन, गेट कीपर एण्ड टिकिट कलेक्टर, रिवाइण्डिंग मैन, लिफ्ट ऑपरेटर, विनोअर, मेट (लेबर सुपरवाइजर), कोल्हूमैन, फायरमैन, पम्प अटेन्डेन्ट, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक वेल्डर, सहायक मैकेनिक, जाकरी वर्कर्स, वॉशरमैन, रिकवरीमैन, पंचरमैन, डिलीवरी मैन, कोबलर, पैट्रोल डिलीवरी मैन, वे मैन कॉज बटन मेकर, चेयर नेस्टर, साईकिल रिपेयर्स, कॉटन फिडर, ब्रेकर साउथर फिनिशर श्रमिक, टेन्टर कम स्टीपर, डाईग सिम्पलेक्स, लूविंग इन्टील, रिंग एण्ड डब्लिंग साईजर, डाफर, रोलर, एन्टीवाला एण्ड बेलिंग, वायरमैन कम हैल्पर, सैनेट्री जमादार, हलरमैन, मोजर, वेटमैन, सिल्कमैन, भू मापक, हैण्ड डीलर, स्टोर ट्रन्सेज और कटर्स, तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अर्द्धकुशल कार्य करते हों)	5382/-	207/-
3. कुशल - मैशन, मिस्ट्री, स्वागतकर्ता, बढ़ी, लुहार, दर्जी, चर्मकार, मैकेनिक फिटर, लाईनमैन, पेन्टर, प्लम्बर, बर्नरस इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सिनेमा ऑपरेटर, बागवान, मैकेनिकल डीलर्स एण्ड ब्लास्टर्स, हल्के वाहनों के ड्राईवर, भारी वाहनों के ड्राईवर, ट्रेक्टर चालक, भारी ट्रकों के चालक, मिटटी हटाने वाली मशीनों के ड्राईवर, रोड रोलर ड्राईवर, ट्रक ड्राईवर, मोटर गाडियों के ड्राईवर, इंजन ड्राईवर, दस अशवशक्ति तक की मशीनों के ड्राईवर, अर्थ मूविंग इविवेन्ट ड्राईवर, ऑपरेटर्स, क्लर्क, टाईपिस्ट, केशियर, पुस्तकालय लिपिक, समय पालक, स्टोर कीपर, लेखा लिपिक, सभी प्रकार के निरीक्षक (लाईसेन्स, गृहकर, सैनेट्री, खाद्य, ज्वालक आदि), पर्यवेक्षक, फायर ऑफिसर, ओवरसीयर,	5642/-	217/-

1	2	3
जलदाय पर्यवेक्षक, मुख्य सैनेट्री एवं परामर्शक, बॉयलर अटेंडेण्ट, फिटर, फायरमैन, मशीनमैन, कण्डेक्टर्स, ड्राइवर्स, टर्नर, आर्टिजन्स, कोच बिल्डर्स, वल्केनाईजर्स, इक्ट्रोप्लेट्स, मैट्रोमैन, बिल्डर्स, डिचमैनपेन्टर्स औफ हैलेस्टर्स, ड्रेसर्स एण्ड सोपस्टर्स, पथ निरीक्षक, कम्पाण्डर, ड्राफ्टमैन, माली, शिफ्ट सुपरवाईजर, मशीन फिटर टर्नर प्रेसमैन, वाईण्डर, जोबर कम ऑयलमैन, जोबर कम साईजर, विलोरुम जोबर, बिल कलर्क, बुकिंग कलर्क, कुकक्स, एयर कण्डीशन मैकेनिक, रफुगर, फार्मेसिस्ट्स वटर टेलर, पॉलिशवाला, रेडियो रिपेयर्स, ऑटो मैकेनिक, शीटमेकर, फर्नीचर डिजाइनर्स, मनिहारा, बार्बर, कन्केक्शनर्स, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट ऑटोशियन, छाता बनाने वाला, सूटकेश मैकर, मनीबेग मैकर, नर्स, इन्वार्ज, सिक्यूरिटी मैन, गोदाम कीपर, एलीलेटर ऑपरेटर, वेलप्रेस ऑपरेटर, फुलप्रेस मैन, मुकादम्स, मोल्डर, फैब्रिकेटर, टाईम्स्कीपर, कोल्हू मास्टर, ढोल मैकर, टीन रिम्थ, सोल्डरमैन, एयरकण्डीशन ऑपरेटर, एयरकूलिंग ऑपरेटर, असिस्टेन्ट मैनेजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाईजर, कम्पोजिटर, ऑपरेटर-लाइनो / मोनो, डाई प्रिन्टर कारपेन्टर, प्रुफ रीडर (चैकर), ब्लॉक प्रिन्टर, ब्लॉक मैकर, डाई स्टेम्पर, डिजाइनर, बाईण्डर, स्टीचर, कास्टर, लाईनोप्लेट प्रिन्टर, टाउचर, कातिम, संसाज, सेंग मशीन ड्राइवर, प्लेट कटर, डाईग मास्टर कन्ट्रोलर्स मैन, फोर्मेन, कार्डिंग मशीन ऑपरेटर, बॉलिंग प्रेस-ऑपरेटर, जोबर, लेथ ऑपरेटर, वाईण्डिंग मशीन ऑपरेटर, वेलेडर, एसेम्लर, स्किन प्रिन्टिंग पैन्टर्स, बॉयलर अटेंडेन्ट, फेल्ट मास्टर कूशिंग एण्ड पिरमेन्ट, कलर मास्टर, मोटर मैकेनिक रक्कूटर मैकेनिक, ग्रिलर, ड्राफ्टमैन, वल्केनाईजर, ग्राइण्डर, बोरिंगमैन, प्रेस मिस्त्री, इलीवेटर, कूल प्रेसमैन, बेलप्रेस ऑपरेटर, मिलर या मिल मशीन ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, क्वालिटी कन्ट्रोल मैन, पथ निरीक्षक प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचर, कुक, सेल / फिमेल नर्स तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो कुशल कार्य करते हो)		
उच्च कुशल (highly skilled)- स्टेनोग्राफर, एकाउण्टेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, मैनेजर, सेल्स सुपरवाईजर, सेल्स रिप्रजेन्टेटिव, मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव, केमिस्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक, लैब टेक्निशियन, टेलीफोन ऑपरेटर, ई.सी.जी. टेक्निशियन, रेडियोग्राफर मैन पॉवर तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु उच्च कुशल कार्य करता हो)	6942/-	267/-

टिप्पणियां:-

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
5. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टे प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (**overtime**) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
6. (क) अकुशल (**unskilled**) कार्य वह है जिसमें ऐसे साधारण कार्य जिसमें कि कार्य संबंधी कुशलता/अनुभव की, मामूली आवश्यकता है या नहीं, सम्मिलित है।

- (ख) अर्द्धकुशल (semi-skilled) कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता कुछ अंश तक सम्मिलित है और जो चतुर कर्मचारी के पर्यवेक्षण या कार्य दर्शन के अधीन पूरा किया जाने योग्य है और इसमें अकुशल पर्यवेक्षणीय कार्य भी सम्मिलित है।
- (ग) कुशल (skilled) कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त या शिक्षा (अप्रेन्टिस) के रूप में या तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जिसके निष्पादन में उपकरण एवं विवेक की आवश्यकता है।
- (घ) उच्च कुशल (highly skilled) कार्य से आशय है, ऐसा कोई भी कार्य, जिसमें सधन तकनीक या व्यावसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षों के व्यवहारिक (Practical) कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यों के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित है।
7. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
 8. 18 (अट्टारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय होंगी।
 9. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिए औद्धोगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Price index) माह अगस्त, 2013 से अप्रैल, 2015 तक अधिसूचना में सम्मिलित किये गये हैं। मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 218 अंक है।
 10. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 1.1.2015 से लागू होंगी।

जयपुर, दिसम्बर 17, 2015

संख्या एफ.5(6)न्यू.म./श्रम/आईआर/2000/पार्ट/27618 :—क्रमांक एफ 5(6)न्यू. म./श्रम/2000/पार्ट:— चूंकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र में “ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम—रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं” (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को छोड़कर) में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ 5(6)न्यू. म./श्रम/2000/पार्ट/13763 दिनांक 4-8-2015 से राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग —(ख) दिनांक 4.8.2015 में प्रकाशित किये गये थे।

चूंकि उक्त प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप-धारा (2) संपर्कित धारा 3 की उप-धारा(1) खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28.1.2015 को राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1 (ख) दिनांक 29.1.2015 में प्रकाशित हुई थी, का अधिकमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात् राजस्थान राज्य में “ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम—रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं” नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 1.1.2015 से पुनरीक्षित करती हैं:—

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रुपए)
1.00	भवन निर्माण		
1.01	नीव में मिट्टी खुदाई 1.5 मीटर उठान तथा 50 मीटर तक फेंकना (अ) साधारण मिट्टी में (ब) कठोर/चिकनी मिट्टी में (स) गोला पत्थर के साथ मिली हुई 10:90	2.00 घ.मी. 1.61 घ.मी. 1.07 घ.मी.	197.00 197.00 197.00
1.02	अतिरिक्त 1.5 मी. उठाने के लिए	12.50घ.मी.	197.00
1.03	अतिरिक्त 50 मी. दूरी तक मिट्टी ले जाने के लिए	4.00 घ.मी.	197.00
1.04	नीव में धाड़ा, कक्कर या झाङ्गारा डालना तथा कुटाई करना	4.00 घ.मी.	197.00
1.05	नीव में खड़ी इंटे डाईगोनल हैरिंग बोन्ड पैटर्न में गारा मिट्टी	5.00 वा.मी.	197.00

1.06	में लगाना नींव में चूने कांकीट 40 मि.मि. नामीय माप की पत्थर की मिट्टी/इंट के साथ डालना कुटाई करना	0.38 घ.मी.	197.00
1.07	नींव में सीमेंट कंक्रीट 40 मि.मि. नामीय माप की पत्थर की गिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना	0.47 घ.मी.	197.00
1.08	नींव में गारा मिट्टी को कंक्रीट 40 मि.मि. नामीय माप की गिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना	0.71 घ.मी.	197.00
1.09	नींव व कुर्सी में इंटों की चिनाई गारा मसाले में	1.00 घ.मी.	197.00
1.10	नींव व कुर्सी में इंटों की चिनाई चूना—मसाले में	1.00 घ.मी.	197.00
1.11	नींव व कुर्सी में इंटों की चिनाई सीमेंट—मसाले में	1.00 घ.मी.	197.00
1.12	अतिरिक्त इंट की चिनाई अधिरचना में	3.23 घ.मी.	197.00
1.13	इंटों की 112 मि.मी. मोटी परदी चिनाई में	5.00 व.मी.	197.00
1.14	नींव में पत्थर की बेरदा ढोका चिनाई गारा/चूना/सीमेंट मसाले में	0.71 घ.मी.	197.00
1.15	अतिरिक्त अधिरचना चिनाई में, 30 से.मी. से अधिक मोटाई हेतु	2.86 घ.मी.	197.00
1.16	रददा कतार ढोका चिनाई में अतिरिक्त श्रम	6.25 व.मी.	197.00
1.17	पत्थर के सिरदल चढ़ाना, लगाना	3.00 व.मी.	197.00
1.18	पत्थर के रफ तरासी दहल, दासा तथा कोणिंग मसाले में लगाना	1.59 व.मी.	197.00
1.19	पत्थर के टांड, ताक लगाना	7.69 व.मी.	197.00
1.20	पत्थर के छज्जे लगाना	3.81 व.मी.	197.00
1.21	पत्थर की पटियों की छत डालना तथा दर्जे बंद करना सीमेंट मसाले में	10.00 व.मी.	197.00
1.22	पटियों की छत पर इंट गारा खड़ंजा लगाना 100 मि.मी. मोटाई में डालना	1.18 व.मी.	197.00
1.23	पक्के इंट के टुकड़े या पत्थर के पच्चड़ से सीमेंट मसाला 1:4 में भंवरिया डालना	9.09 व.मी.	197.00
1.24	छत के ऊपर खड़ी इंट का वर्गीकार खड़ंजा मसाले में लगाना	5.56 व.मी.	197.00
1.25	90 मि.मी. औसत मोटा चूने का दड डालना, थप्पी देना, कटना आदि	2.86 व.मी.	197.00
1.26	सीमेंट कांकीट दड स्टील के साथ	2.78 व.मी.	197.00
1.27	आर.सी.सी. कार्य में सीमेंट कंक्रीट डालना	0.4 व.मी.	197.00
1.28	सेंटरिंग, शटरिंग	6.66 व.मी.	197.00
1.29	आर.सी.सी. कार्य के लिए लोहे को काटना तथा स्थान पर लगाना, बांधना आदि	100.00 किंग्रा.	197.00
1.30	लोहे की इस्पात चददरों की छत डालना	12.27 व.मी.	197.00
1.31	एस्बेस्टस/पी.वी.सी. की छत डालना	23.00 व.मी.	197.00
1.32	एक्सपो नालीदार चादर की छत डालना	22.50 व.मी.	197.00
1.33	लोहे के गर्डर को काटना, चढ़ाना, लगाना	66.73 किंग्रा	197.00
1.34	3 मी. पटाव वाली कड़ियों तथा पहिले से बनी फेरे सीमेंट स्लेब से छत डालना	1.35 व.मी.	197.00
1.35	जेक डाट की छत पूर्ण कार्य	2.13 व.मी.	197.00
1.36	फर्श के नीचे सूखे पत्थरों का खड़ंजा लगाना	3.33 घ.मी.	197.00
1.37	फर्श में चूना कांकीट डालना	0.56 घ.मी.	197.00
1.38	फर्श के नीचे सीमेंट कांकीट डालना	0.61 घ.मी.	197.00
1.39	50 मि.मी. मोटी सीमेंट कांकीट फर्श का कार्य	4.35 व.मी.	197.00
1.40	कोटा स्टोन को मसाले के ऊपर लगाना	5.00 व.मी.	197.00
1.41	मार्बल, चिप्स का फर्श, मय नीचे की कंक्रीट सहित	5.00 व.मी.	197.00
1.42	मार्बल का फर्श लगाना धिसाई सहित	3.13 व.मी.	197.00
1.43	मार्बल/कोटा स्टोन की स्कटिंग लगाना धिसाई सहित	4.00 व.मी.	197.00
1.44	चूना प्लास्टर 25 एम.एम. मोटाई	6.25 व.मी.	197.00
1.45	सीमेंट प्लास्टर 25 एम.एम. मोटाई	7.69 व.मी.	197.00
1.46	सीमेंट प्लास्टर छत पर करने के लिए अतिरिक्त टीप का कार्य सीमेंट मसाले में	16.67 व.मी.	197.00
1.47		12.50 व.मी.	197.00

1.48	सफेदी/रंग सफेदी का कार्य (नए कार्य पर)	50.00घ.मी.	197.00
1.49	इनामिल पेन्ट का लेप करना (नए कार्य पर)	18.52घ.मी.	197.00
1.50	दरवाजों/खिड़कियों को लगाना (स्टील के)	4.00घ.मी.	197.00
1.51	सीमेंट-कांकीट की जाली लगाना	3.60 घ.मी.	197.00
1.52	जंगल की सफाई, साधारण वनस्पति तथा झाड़ियों सहित	100.00घ.मी.	197.00
1.53	जंगल की सफाई, भारी झाड़ियों, 30 सेमी लपेट वाले पौधे भी काटना सहित	80.00घ.मी.	197.00
1.54	एस्बेर्ट्स सीमेंट के पाईप लगाना	16.67 मी.	197.00
सड़क कार्य			
1.55	पेड़ों को गिराना, उखाड़ना तथा हटाना, तर्नों व शाखाओं को काटना तथा चट्टा लगाना, गड्ढा ठीक करना		
	(1) 150 से 300 मि.मी. लपेट वाले	2.00 पेड़	197.00
	(2) 300 से 600 मि.मी. लपेट वाले	1.00 पेड़	197.00
	(3) 600 से 900 मि.मी. लपेट वाले	0.57 पेड़	197.00
	(4) 900 से 1500 मि.मी. लपेट वाले	0.40 पेड़	197.00
	(5) 1500 से 2100 मि.मी. लपेट वाले	0.29 पेड़	197.00
	(6) 2100 से 2700 मि.मी. लपेट वाले	0.20 पेड़	197.00
1.56	मिट्टी का कार्य कटाई में 1.5 मीटर उठान कर 50 मीटर तक निष्पादन, डागवेल लगाना, होदा मं केन्वर, ग्रेड लगाना, निष्पादित मिट्टी को समतल करना तथा दरेसी करना		
	(1) साधारण मिट्टी	4.00 घ.मी.	197.00
	(2) सख्त-चिकनी मिट्टी में	2.50 घ.मी.	197.00
	(3) कंकर मिट्टी में	1.82 घ.मी.	197.00
	(4) मुलायम चट्टान	1.11 घ.मी.	197.00
1.57	विस्फोट किये हुये चट्टान से पत्थरों को छांटना और चट्टे लगाना	0.71घ.मी.	197.00
1.58	पत्थरों को निम्न नामीय माप में तोड़ना		
	(1) 80 मि.मी. नामीय माप के	3.03 घ.मी.	197.00
	(2) 63 मि.मी. नामीय माप के	2.63 घ.मी.	197.00
	(3) 40 मि.मी. नामीय माप के	1.00 घ.मी.	197.00
	(4) 20 मि.मी. नामीय माप के	0.80 घ.मी.	197.00
	(5) 12 मि.मी. नामीय माप के	0.50 घ.मी.	197.00
	(6) 10 मि.मी. नामीय माप के	0.40 घ.मी.	197.00
1.59	झामा ईंटों को निम्न नामीय माप में तोड़ना		
	(1) 63 मि.मी. नामीय माप में	2.00 घ.मी.	197.00
	(2) 40 मि.मी. नामीय माप में	1.51 घ.मी.	197.00
	(3) 20 मि.मी. नामीय माप में	0.91 घ.मी.	197.00
	(4) 10 मि.मी. नामीय माप में	0.80 घ.मी.	197.00
1.60	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन पर चढ़ाना	5.00 घ.मी.	197.00
1.61	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन से उतारना	7.14 घ.मी.	197.00
1.62	सामग्री का केवल चट्टा लगाना	15.97 घ.मी.	197.00
1.63	मिट्टी का कार्य, भराई में सड़क के किनारे खदान बनाकर मिट्टी 1.5 मीटर उठान तथा 50 मी. तक ले जाना, डले तोड़ना तथा 2 से.मी. परतों में बिछाना समतल कर केन्वर व ग्रेड बनाना		
	(1) साधारण मिट्टी में	3.45 घ.मी.	197.00
	(2) सख्त चिकनी मिट्टी में	2.27 घ.मी.	197.00

1.64	(3) कंकर मिट्टी में सड़क निश्चित केम्बर, ग्रेड में ग्रेवल, कंकर, घेरी रिबश तथा कोर्स एग्रीगेट को 15 से.मी. से कम मोटाई में बिछाना व फैलाना	1.69 घ.मी. 3.33 घ.मी.	197.00 197.00
1.65	डब्ल्यू.बी.एम. सतह को केम्बर-ग्रेड में सामग्री को बिछाना, मिट्टी की दीवार बनाना, वाईंडिंग मेटेरियल डालना (रोलर से कुटाई के अलावा)	1.72 घ.मी.	197.00
1.66	बेरद्वा ढोका 23 से.मी. उंचाई में, खड़ंजा लगाना, मिट्टी जोड़े में भरना, खड़ंजे के होदा में से निकली अतिरिक्त मिट्टी का 50 मीटर तक निस्तारण करना। बिना मसाले के सूखा/सीमेन्ट बजरी किनारों पर खड़ी ईंटों का खड़ंजा, जोड़े में मिट्टी भरना सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिए कंक्रीट बिछाना, कंक्रीट मिलाने सहित (कम्पन मशीन चलाने के अतिरिक्त), 1:3:6 सीमेंट कंक्रीट हेतु	3.33 व.मी. 3.13 व.मी. 4.03 घ.मी. 0.61 घ.मी.	197.00 197.00 197.00 197.00
1.67	सामाजिक बानिकी		
1.68	1.50X0.90X1.2 मीटर माप की खड़ा बाड़ बनाना, खुदी हुई मिट्टी से किनारों पर टीला बनाना (1) साधारण मिट्टी में (2.03 घ.मी.) (2) सख्त मिट्टी में (1.80 घ.मी.) (3) कंकर—मूरम मिट्टी में (1.30 घ.मी.)	1.23 खड़े बाड़ 1.0 खड़े बाड़ 0.66 खड़े बाड़	197.00 197.00 197.00
1.69	1.50X0.90X1.2 मीटर माप की खड़ा बाड़ बनाना, खुदी हुई मिट्टी से किनारों पर टीला बनाना (1) साधारण मिट्टी में (2.03 घ.मी.) (2) सख्त मिट्टी में (1.80 घ.मी.) (3) कंकर—मूरम मिट्टी में (1.30 घ.मी.)	1.23 खड़े बाड़ 1.0 खड़े बाड़ 0.66 खड़े बाड़	197.00 197.00 197.00
1.70	डोला फेन्सिंग जिसमें नीचे का आधार 1 मीटर तथा ऊपर का सिरा 30 से.मी. और उंचाई 1.2 मीटर हो (1) साधारण मिट्टी में (2) सख्त मिट्टी में (3) कंकर—मूरम मिट्टी में	5.00 मी. 3.33 मी. 2.50 मी.	197.00 197.00 197.00
1.71	उपलब्ध पत्थर से सूखी चिनाई कर फेन्सिंग दीवार बनाना	1.43 घ.मी.	197.00
1.72	45 x 45 x 45 से.मी. माप के गड्डे करना (1) साधारण मिट्टी में (2) सख्त चिकनी मिट्टी में (3) कंकर—मूरम मिट्टी में	22.00 गड्डे 20.00 गड्डे 10.00 गड्डे	197.00 197.00 197.00
1.73	पौधा रोपण करना (1) सामान्य जमीन में (2) पथरीली जमीन में	45.00 पौधा 37.00 पौधा	197.00 197.00
1.74	बोज बुवाई बनाये गये रिज पर	227.00 मी.	197.00
1.75	पौधों को पानी पिलाना	77.00 पौधा	197.00
1.76	पौधों की निडाई—गुडाई	111.00 पौधा	197.00
1.77	थांवला बनाना (1) सामान्य जमीन में (2) पथरीली जमीन में	77.00 नग 56.00 नग	197.00 197.00
1.78	उडते हुए रेत टीलों पर 50 मी. दूरी तक से सनिया छीप उखाड़ कर लाना और मलविंग करना	18.00 मी.	197.00
1.79	सिंचाई मिट्टी का कार्य बंध में (सूखी या गीली) 15 से.मी. परत में		

	डालना, ढेलों को तोड़ना, दरेसी करना, शीप फुट रोलर से मिट्टी दबाना (1) साधारण मिट्टी में (2) कठोर मिट्टी में सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 गिर्ही पत्थर की 40 मि.मी. नामीय माप नींव में डालना (कम्पन मशीन के अलावा) 15 से 30 से.मी. मोटे हथोड़े से तरासे हुए पत्थर से पिंचिंग	2.10 घ.मी. 1.90 घ.मी.	197.00 197.00
1.80	सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 गिर्ही पत्थर की 40 मि.मी. नामीय माप नींव में डालना (कम्पन मशीन के अलावा) 15 से 30 से.मी. मोटे हथोड़े से तरासे हुए पत्थर से पिंचिंग	0.61 घ.मी.	197.00
1.81	फिल्टर टो में परतों में धुली मोटी बजरी डालना चाहे गए	2.00 घ.मी.	197.00
1.82	प्रोफाईल में	1.52 घ.मी.	197.00
1.83	फिल्टर टो में परतों में धुले हुए बेलास्ट—ग्रेवल को चाहे गए प्रोफाईल में	2.00 घ.मी.	197.00
	स्वच्छता:		
1.84	जल मलाधार को सम्पूर्ण लगाना	2.00 नग	197.00
1.85	मूत्रदानी लगाने का पूर्ण कार्य मय फिटिंग	3.33 नग	197.00
1.86	हाथ धोवन बर्तन का पूर्ण कार्य मय फिटिंग	3.33 नग	197.00
1.87	जस्ती लोहे के पाईप मय फिटिंग, डिरी काटने सहित (1) 15 मि.मी. व्यास (2) 25 मि.मी. व्यास	28.57 मी. 22.22 मी.	197.00 197.00
1.88	पाषाण भाण्ड(S.W.) पाईप का डालना, जोड़ों में 1:1 का मसाला भरना, ट्रेन्च खोदना, कंक्रीट के साथ लगाना, मिट्टी से भरना गड्ढे को।	6.67 मी.	197.00
1.89	चाइना क्ले की चमकीली टाईल लगाना	6.67 व.मी.	197.00
1.90	आर.सी.सी. का कुएं के लिए कर्व तैयार करना तथा कुएं में बैठाना (1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं के लिए (2) 1.20 मीटर व्यास के कुएं के लिए (3) 1.50 मीटर व्यास के कुएं के लिए (4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिए	3.57 कर्व 2.27 कर्व 1.61 कर्व 1.14 कर्व	197.00 197.00 197.00 197.00
1.91	आर.सी.सी. के (Ring) चक्कर बनाना तथा कुएं में बैठाना (1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. ऊंची) (2) 1.2 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. ऊंची) (3) 1.50 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. ऊंची) (4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. ऊंची)	12.50 रिंग 10.00 रिंग 6.67 रिंग 5.00 रिंग	197.00 197.00 197.00 197.00

टिप्पणी:-

- इसमें किसी बात में अन्तर्विष्ट होते हुए भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके सम्बन्ध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
- अनुसूची में निर्दिष्ट मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
- मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
- श्रम व्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Price index) माह अगस्त, 2013 से अप्रैल, 2015 तक अधिसूचना में सम्मिलित किये गये हैं। मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 218 अंक है।
- उक्त मजदूरी दरें दिनांक 1-1-2015 से लागू होंगी।

जयपुर, दिसम्बर 17, 2015

संख्या एफ.5(6)न्यू.म./श्रम/आईआर/2000/पार्ट/27629 – कमांक एफ 5(6)न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट:- चूंकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र ‘घरों में नियोजित श्रमिक (Domestic worker)’में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना कमांक एफ 5(6)न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट/13753-57 दिनांक 4-8-2015 से राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग – 1(ख) दिनांक 4.8.2015 में प्रकाशित किये गये थे।

चूंकि उक्त प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप-धारा (2) सपष्टित धारा 3 की उप-धारा(1) खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28.1.2015 को राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1 (ख) दिनांक 29.1.2015 में प्रकाशित हुई थी, का अधिकमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात् राजस्थान राज्य में “घरों में नियोजित श्रमिक (Domestic worker)” नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 1.1.2015 से पुनरीक्षित करती हैं।

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र. सं.	नियोजन की प्रकृति	श्रमिकों के कार्य के घण्टे/अवधि (जिस घर में अधिकतम 4 सदस्य रह रहे हों)	प्रतिमाह देय न्यूनतम मजदूरी की दर (रुपये में)
1	बर्तन धोने का कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	705.00
2	कपड़े धाने का कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	705.00
3	कपड़े धोना-बर्तन धोना	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	705.00
4	कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	705.00
5	अन्य घरेलू कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	705.00
6	कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की साफ-सफाई, बच्चों की देखभाल, बच्चों को स्कूल छोड़ना व लेकर आना इत्यादि घरेलू कार्य	एक दिन का कार्य	5642.00

टिप्पणियां:-

- यदि अनुसूची के क्रम संख्या 1 से 5 में उल्लेखित कार्य की अवधि 60 मिनिट से अधिक हैं तो देय मजदूरी की गणना उसकी अनुपात में बढ़ जाएगी।
- एक दिन के कार्य से तात्पर्य अधिकतम 8 घण्टे तक कार्य होगा। अधिसमय (ओवरटाइम) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी की दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
- यदि परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से ज्यादा हैं तो अनुसूची में दी गई दर की 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी देय होगी परन्तु कार्य की अवधि वही रहेगी।
- उक्त उल्लेखित दरें न्यूनतम हैं, यदि पहले से दी जा रही मजदूरी अनुसूची में दी गई मजदूरी की दरों से ज्यादा हैं तो पहले से ही दी जा रही दरें ही प्रचलित रहेगी।
- यदि कोई श्रमिक पूर्ण माह के स्थान पर कुछ दिवस ही कार्य करता हैं तो दैनिक मजदूरी की गणना मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जावेगी।
- श्रम व्यारो, शिमला से प्राप्त जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Price index) माह अगस्त, 2013 से अप्रैल, 2015 तक अधिसूचना में सम्मिलित किये गये हैं। मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 218 अंक है।
- उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 1.1.2015 से लागू होगी।

जयपुर, दिसम्बर 17, 2015

संख्या एफ.5(6)न्यू.म./श्रम/आईआर/2000/पार्ट/27640 :— क्रमांक एफ 5(6)न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट— चूंकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र में “विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन” में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ 5(6)न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट/13746 दिनांक 4-8-2015 से राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग — 1(ख) दिनांक 4-8-2015 में प्रकाशित किये गये थे।

चूंकि उक्त प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप-धारा (2) सपष्टित धारा 3 की उप-धारा(1) खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28-1-2015 को राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1 (ख) दिनांक 29.1.2015 में प्रकाशित हुई थी, का अधिकमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात् राजस्थान राज्य में “विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन” में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में निनानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 1.1.2015 से पुनरीक्षित करती हैं—

क्र. सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों के बर्ग	न्यूनतम मजदूरी की प्रस्तावित दर (रुपये में)
1	विक्रय संवर्द्धन (विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन	उच्च कुशल— विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (एम.आर.)	267/- रुपये प्रतिदिन या 6942/- रुपये प्रतिमाह

टिप्पणियों—

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वार्षिक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
5. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टे प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (overtime) कार्य का मुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से विधा जायेगा।
6. (क) उच्च कुशल (highly skilled) कार्य से आशय है, ऐसा कोई भी कार्य, जिसमें सघन तकनीक या व्यवसायिक प्रशिक्षण या लच्छे वर्षों के व्यवहारिक (Practical) कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यों के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित है।
7. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
8. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Price index) माह अगस्त, 2013 से अप्रैल, 2015 तक अधिसूचना में सम्मिलित किये गये हैं। मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 218 अंक है।
9. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 1.1.2015 से लागू होगी।

जयपुर, दिसम्बर 17, 2015

संख्या एफ.5(6)न्यू.म./श्रम/ 2000/पार्ट/27651 :— क्रमांक एफ 5(6)न्यू.म./श्रम /2000/पार्ट— चूंकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र “इट भट्टों के उद्योग में नियोजन” में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को

पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ 5(6)न्यू म./ श्रम/2000/पार्ट/13758 दिनांक 4.8.2015 से राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग - 1(ख) दिनांक 4.8.2015 में प्रकाशित किये गये थे। चौंक उक्त प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

आतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप-धारा (2) संपतित धारा 3 की उप-धारा(1) खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शाकितयों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28.1.2015 को राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1 (ख) दिनांक 29.1.2015 में प्रकाशित हुई थी, का अधिकमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम बेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात् राजस्थान राज्य में “ईट भट्टों के उद्योग में नियोजन” में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 1.1.2015 से पुनरीक्षित करती है:-

ईट भट्टों के उद्योग में पीस रेट न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र.सं.	श्रमिकों / कर्मचारियों के वर्ग	कार्य की मात्रा	पीस रेट न्यूनतम मजदूरी (रुपये में)
1.	पाथर (कच्ची ईट की थापाई)	1000 ईट प्रति व्यक्ति	217/-
2.	मराई वाला	1000 ईट प्रति व्यक्ति	93/-
3.	निकासी वाला	1000 ईट प्रति व्यक्ति	108/-
4.	पत्की ईट की लोडिंग	1000 ईट प्रति व्यक्ति	54/-
5.	गढ़ठी बंद कराई	प्रति गढ़ठी प्रति व्यक्ति	65/-
6.	जलाई वाला	-	217/- प्रति दिन
7.	जलाई मिस्त्री	-	6942/- प्रति माह
8.	सफाई प्रति गड्ढ	-	197/- प्रति दिन
9.	बैलदार / रापरस्या	-	197/- प्रति दिन
10.	पाणतिया	-	207/- प्रति दिन
11.	जमादार	-	217/- प्रति दिन

टिप्पणियाः-

- दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस चारा का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
- अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, समिलित है।
- उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
- निर्वाचित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घंटे प्रतिदिन) से अधिक कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (overtime) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
- (क) अकुशल (unskilled) कार्य वह है जिसमें ऐसे साधारण कार्य जिसमें कि कार्य संबंधी कुशलता / अनुभव की, मामूली आवश्यकता है या नहीं, समिलित है।
(ख) अर्द्धकुशल (semi-skilled)कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता कुछ अश तक समिलित है और जो चतुर कर्मचारी के पर्यवेक्षण या कार्य दर्शन के अधीन पूरा किया जाने योग्य है और इसमें अकुशल पर्यवेक्षकीय कार्य भी समिलित है।

- (ग) **कुशल** (skilled)कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त या शिक्षा (आप्रेटिस) के रूप में या तकनीकी या व्यावसायिक संख्यान में प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता समिलित है और जिसके निष्पादन में उपकरण एवं विवेक की आवश्यकता है।
6. मजदूरी की चूनतम दरे ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
 7. 18 (अंतरारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की चूनतम दरे उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय होंगी।
 8. श्रम व्यारों, शिमला से प्राप्त जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिए औद्घोषिक श्रमिकों के उपमोक्ता मूल्य सूचकांक (Price index) माह अगस्त, 2013 से अप्रैल, 2015 तक अधिसूचना में समीलित किये गये हैं। मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 218 अंक है।
 9. उक्त मजदूरी की दरे दिनांक 1.1.2015 से लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
अनुपम गौड़,
सहायक शासन सचिव,
एवं उप श्रम आयुक्त(अभियोजन),
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।